B.A. PART-II POL.Sc.(HONS)
3RD PAPER

FUNDAMENTAL RIGHT

Q 10. मौलिक अधिकार क्या है ? इसका वर्णन करें !

उत्तर :- अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है! व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए जो अधिकार अनिवार्य होते है उनको मौलिक अधिकार कहा जाता है।

प्रो० लॉस्की के अनुसार:-
"मौलिक अधिकार सामाजिक जीवन की शर्तों है। जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का श्रेष्ठतम रूप विकसित नहीं कर सकता है।"

मौलिक अधिकारों का अर्थ एवं महत्व बताते हुए —
जी० एस० जोशी ने लिखा है :-
कि "मौलिक अधिकार एक ऐसा साधक है जिसके द्वारा, एक स्वतंत्र राज्य के नागरिक अपने सामाजिक, धार्मिक तथा नागरिक जीवन का आनंद मना सकते हैं।"

इसलिए प्रत्येक देश में उस देश के संविधान द्वारा नागरिको को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए है।

भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिको को केवल छः मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं

जो निम्नलिखित है:—

(Right to Equality)

(1) समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18):—

समानता का अर्थ है कि राज्य के लिए सभी नागरिक समान हैं। संविधान के 14 वें 15 वें, 16 वें व 18 वें अनुच्छेदों में समानता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों की व्यवस्था है।

(i) कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद - 14) (Equality Before the Law) :— अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत राज्य में सभी व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर समझे जाएंगे एवं कानून सबकी समान रूप से रक्षा करेगी। समान अपराध एवं न्यायालयों में जाति, वंश, धर्म, लिंग, सम्प्रदाय या जन्म स्थान आदि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।

(ii) सामाजिक समानता (अनुच्छेद - 15) (Social Equality) :— अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्यों के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर नागरिकों

के आधार स्त्रीत्व के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रकार कानून द्वारा सभी नागरिकों को सार्वजनिक भोजनालय, सिनेमा, तालाब, कुएँ, उद्यान आदि को उपयोग करने का समान अधिकार दिया गया है।

iii) अवसर की समानता (अनुच्छेद - 16) (Equality of opportunity):—

अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे तथा इस सम्बंध में धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान में से किसी आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा।

iv) अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद - 17) (Abolision of untouchability):—

अस्पृश्यता के अंत के लिए अनुच्छेद 17 में यह व्यवस्था के अंत के लिए अनुच्छेद 17 में यह व्यवस्था है कि अस्पृश्यता से उपजी किसी अयोग्यता को लागू करना विधि के अनुसार एक दण्डनीय अपराध होगा।

v) उपाधियों का अंत (अनुच्छेद - 18) (Aboli

Abolition of Titles :-

ब्रिटिश शासन काल में भारतीयों को अंग्रेजी वफादारी के आधार पर भी उपाधियाँ दी जाती थीं। जो सामाजिक जीवन में भेदभाव उत्पन्न करती थी। इसलिए अनुच्छेद 18 के अंतर्गत सेना अथवा शिक्षा संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त राज्य कोई अन्य उपाधियाँ प्रदान नहीं कर सकता। साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि भारत का कोई भी नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता।

(Right of Freedom)

[2] स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद - 19-22):

व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान में नागरिकों को अनेक स्वतंत्रता दी है। जिस में अनुच्छेद - 19 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं हैं। —

(i) विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 (क)

(ii) शांतिपूर्ण तथा अस्त्र - शस्त्र रहित सभा करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19 (ख)

(iii) संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 (ग)
(iv) सम्पूर्ण राज्य में आवागमन की स्वतंत्रता (19 (घ)
(v) भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने तथा बसने की स्वतंत्रता। – (19 (ङ))
(vi) सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने तथा व्यय करने की स्वतंत्रता (19(छ)) ।
(vii) व्यावसायिक स्वतंत्रता – (20)
(viii) अपराधों के सम्बन्ध निर्दिष्ट सिद्धि की स्वतंत्रता / अनुच्छेद – 22)
(ix) व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा – (21)

(Right against Exploitation)

[3] शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद - 23 - 24)

:— संविधान के अनुच्छेद - 23 के अनुसार। भारत में व्यक्तियों का क्रय - विक्रय तथा उनसे संबंधित किसी प्रकार का बालश्रम कराने पर निषेध किया गया है। इसके साथ ही दास प्रथा समाप्त की गई है अब कोई किसी से जबरदस्ती बेगार नही ले सकता है। अधिकार सेवाएँ ले सकता है या युद्ध या संकट के समय ऐसे कानून बना सकता है। जिनसे युवक को बाध्य रूप में सेना में भर्ती किया

जा सके।

अनुच्छेद - 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों के किसी बच्चे को कारखाने खान या किसी संकट नौकरी में नहीं लगाया जाएगा।

(Right to Freedom of Religion)

(4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

:— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने विश्वास के अनुसार किसी भी धर्म को अपनाए एवं उसके अनुसार आचरण करे। वह उस धर्म का प्रचार एवं प्रबंध भी कर सकता है परन्तु इस क्रम में वह दूसरे धर्म की बुराई नहीं कर सकता। अनुच्छेद 27 के अनुसार धार्मिक संस्थाओं द्वारा राशि एवं नागरिकों द्वारा धार्मिक संस्थाओं द्वारा राशि एवं नागरिकों द्वारा धार्मिक कार्यों पर व्यय की गई राशि को कर (Tax) मुक्त किया गया है।

(Cultural and Educational Rights)

(5) संस्कृति और शिक्षा सम्बंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 and 30) :— अनुच्छेद 29 और 30 में भारतीय संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को संस्कृति एवं शिक्षा सम्बंधी स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है।

(i) अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा संस्कृति एवं लिपि को बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है।

(ii) राज्य द्वारा चलाई गई शिक्षण संस्थाओं या राज्य से सहायता पाने वाली शिक्षण संस्थाओं में किसी नागरिक को केवल धर्म जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा

(iii) अनुच्छेद-30 के अनुसार सभी अल्पसंख्यक वर्गों को चाहे वे धर्म या भाषा के आधार पर हो। अपने स्कूल, कॉलेज खोलने का अधिकार है।

(iv) राज्य आर्थिक सहायता देते समय ऐसी शिक्षण संस्थाओं से कोई भेदभाव नहीं करेगा।

(Right to Constitutional Remedies)

(6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद-32)

:— भारतीय संविधान में न केवल नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। वरन् इससे इन अधिकारों की रक्षा के उपचार भी है। नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों का शरण ले सकता है। इन न्यायालयों को यह अधिकार है कि वे कार्यपालिका के कार्यों के अवैध घोषित कर दे जो मौलिक अधिकार के विपरित हो। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा (soul) बताते हुए—

डा० अम्बेडकर ने कहा था कि यदि कोई मुझ यह पूछे की संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्यप्राय हो जाएगा तो अनुच्छेद 32 को छोड़कर मैं किसी और अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय 5 प्रकार लेख जारी करती है।

(a) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) :—

यह लेख किसी बंदी व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है कि बंदी व्यक्ति जब से जहाँ बंदी बना लिया गया है, उसे लेख द्वारा न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश के साथ प्रस्तुत करें ताकि न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार करे।

(b) परमादेश (Mandamus) :— इस परमादेश लेख का अर्थ है- आज्ञा देते हैं। इस लेख के द्वारा न्यायालय किसी सार्वजनिक निकाय, सार्वजनिक कर्मचारी निगम या संस्था के पदाधिकारी को कानून के अनुसार कर्तव्य पालन हेतु आदेश देता है।

(c) प्रतिषेध (Prohibition) :— इस लेख के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश जारी करता है कि अमुक मामलों की कार्यवाही अपने यहाँ स्थगित कर दें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। इस प्रकार वह इससे अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है।

(d) उत्प्रेषण (Certiorari) :—

यदि किसी न्यायालय का कोई न्यायाधीश मुकदमे की कार्यवाही करते हुए अधिकार क्षेत्र या कानूनी प्रक्रिया से बाहर जा रहा हो तो उच्चतर न्यायालय यह आदेश देता है कि इस मुकदमे से संबंधित समस्त कागज उसके पास भेज दे। इस व्यवस्था का उद्देश्य जनता को सही न्याय दिलाना है।

(e) अधिकार - पृच्छा (Quo - warranto) :—

यदि कोई अधिकार गैर कानूनी रूप से किसी पद या अधिकार का प्रयोग करता है तो न्यायालय इस लेख के जरिए उसे ऐसा करने से रोकती है।

निष्कर्ष :—

इस प्रकार संविधान के द्वारा संकट काल में नागरिकों के मौलिक अधिकारों (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर को स्थगित करने की व्यवस्था की गई है।

(आलोचना)

भारतीय संविधान की प्रमुख अधिकार (मौलिक) और विशेषताओं के बावजूद भी कुछ विद्वानों ने इसकी कड़ी आलोचना की है जो इस प्रकार है

(i) मौलिक अधिकार के अन्तर्गत आर्थिक अधिकार (अब नहीं रहा) नहीं दिया गया है। इसके अभाव में सामाजिक एवं राजनैतिक आधार सारहीन है।

(ii) इन अधिकारों को राष्ट्रपति संकटकाल के समय स्थगित कर सकता है। इससे भारत में तानाशाही स्थापित हो सकती है।

(iii) निवारक निरोध की व्यवस्था के कारण स्वतन्त्रता सम्बंधी अधिकार व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि यह शांतिकाल मे भी लागू किया जाता है

(iv) संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख को व्यापक रूप से कर दिया गया है किंतु उन पर प्रतिबंध लगाकर उनकी वास्तविक उपयोगिता समाप्त कर दिया जाता है।

निष्कर्ष :—
कहा जा सकता है कि ये आलोचनाएँ सारगर्भित है लेकिन

मौलिक अधिकारों पर जो प्रतिबंध
लगाए गए है उनका लगना
भारतीय परिस्थितियों के दृष्टिकोण
से आवश्यक एवं उचित है।
इस प्रकार मौलिक अधिकार के
विरुद्ध विरोध एक सीमित सरकार
का भाव किया हुआ होगा है
एक और मौलिक अधिकार
धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देती
है और इसकी और शासन
के अधिकारों को भी
सीमित करती है। अब
मौलिक अधिकारों का उचित
ढंग से प्रयोग करना स्वयं
नागरिकों की जागरूकता पर निर्भर
करता है।